BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 13 जुलाई 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर छेड़छाड़ के आरोपी को 04 वर्ष का कारावास व 19 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र राधेश्याम निवासी मौहल्ला छपेटी कस्बा व थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2015 में थाना पहासू क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लडकी के साथ घर मे घुसकर गाली गलौच करते हुए छेड़छाड़ करना तथा मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 08.08.2015 को थाना पहासू पर मुअसं- 175/2015 धारा- 452,323,354,504,506 भादवि व 8 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 12.08.2015 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 13.08.2024 को न्यायाधीश श्री तरुण कुमार (मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र को 04 वर्ष का कारावास व 19 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील कुमार शर्मा व श्री महेश राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर